

8/2013/5/2013-सी0प्र0-III
152

सं011017/5/2013-सी0प्र0-III

भारत सरकार

(सीमा प्रबन्धन प्रभाग)

एन0डी0 सी0सी-II बिल्डिंग, जय सिंह रोड़
नई दिल्ली दिं0 01.08.2013


सेवा में,

श्री मंजीत सिंह,

46 बी/14 कृपाल नगर,

रोहतक -124001,

(हरियाणा)



02 AUG 2013

विषय:- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्रथम अपील ।

अपीलकर्ता, श्री मंजीत सिंह ने दि0 26.02.2013 को आवेदन प्रस्तुत किया है, जिसमें सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005, के अंतर्गत सूचना मांगी गई है । उनका आर0 टी0 आई0 आवेदन, इस ब्यौरे से संबंधित आवेदन के संबंध में सूचना दिये जाने के लिए सूचना के अधिकार अनुभाग के पत्र दि0 16.04.2013 को प्राप्त हुआ था । पत्र में मांगी गई सूचनाएं इस अनुभाग से संबंधित नहीं थीं । केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी ने अपने दि0 18.04.2013 के उत्तर में आवेदक को सूचित किया था कि उनके द्वारा मांगी गई सूचनाएं सीमा प्रबन्धन प्रभाग से संबंधित नहीं हैं ।

2. आवेदक ने निदेशक (सी0 प्र0-1) एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दि. 18.04.2013 को दी गई सूचना के विरुद्ध दि0 26.05.2013 को अपील प्रस्तुत की (जो कि इस अनुभाग में दि0 27.07.2013 को प्राप्त हुई) और संबंधित विभाग से सूचना एकत्रित करने के पश्चात सूचना देने का अनुरोध किया ।

3. आर0 टी0 आई0 आवेदन एवं केन्द्रीय लोक सूचना, अधिकारी द्वारा दिये गए उत्तर और आवेदक द्वारा दी गई अपील को पढ़ने के पश्चात यह पाया गया कि केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी द्वारा दिया गया उत्तर सही है । तथापि आर0 टी0 आई0 आवेदन सहित अपील की प्रति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग भारत सरकार को इस अनुरोध के साथ भेजी जा रही है कि आवेदक द्वारा मांगी गई अपेक्षित सूचना सीधे आवेदक को उपलब्ध करा दी जाय तथा सूचना की एक प्रति इस अनुभाग को भेजी जाय ।

4. उपर्युक्त के मध्येनजर मांगी गई सूचनाएं सीमा प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय की और से मामले में आगे कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है । जहां तक सीमा प्रबन्धन प्रभाग, गृह मंत्रालय का संबंध है, श्री मंजीत सिंह की दि0 26.05.2013 की प्रथम अपील का तदनुसार निपटारा किया जाता है ।

दीपक कुमार
2/8/13

संयुक्त सचिव (सी. प्र.) एवं अपील अधिकारी

प्रति:- केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली

0/2

S-3394/DS(BM)/13
3/9/13

MOST IMMEDIATE/CONFIDENTIAL

No.39/49/2015-EO(SIM-I)

Government of India

Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel and Training

New Delhi, Dated the 29th August, 2013.

To

Shri Manjeet Singh,
46B/14, Kripal Nagar,
Rohtak
HARYANA - 124001.

2151/13/BM-11
6/9

Subject:- Requisition for information under Section - 6(1) of the Right to Information Act, 2005

Sir,

Please refer to your letter dated 26.02.2013, received in this office on 21.08.2013; on the subject mentioned above. The information sought in the letter under reference relates to the subject matter falling within the power of ACC section of the Department. Accordingly, in terms of para 6 (3) of the Right to Information act. 2005, your application/representation alongwith its enclosures is being transferred to Shri Rajesh Nagpal, Under Secretary in the Cabinet Secretariat, i.e. the concerned Central Public Information Officer, for further necessary action.

Yours faithfully,

(S. Basu)

Under Secretary to the Govt. of India.

Tel: No. 2309 3376

1. Copy alongwith the letter dated 26.2.2013 of Shri Manjeet Singh to Shri Rajesh Nagpal, Under Secretary, DoPT providing requisite information directly to the applicant.

2. Copy for information to Shri Deepak Kumar, Joint Secretary(Border Management) Ministry of Home Affairs w.r.t. his above-referred letter.

3. Copy for information w.r.f. 2/2/2013-RTI/69363/DMIS dated 12.8.2013. to RTI Cell of DoPT, North Block, New Delhi.

(S. Basu)

Under Secretary to the Govt. of India.

S. Basu
8
4/9/13

-1987/JS(BM)/13
18/7/13

1987/Dir CBM/2013
22/7

(150)

1606/13/Board
24/7

विद्युत प्रदाता को
बिजली की लागत
बताया जा रहा है।
संलग्न प्रमाण पत्रों के साथ
आपको सूचना दी जा रही है।

आपका प्रश्न कि बिजली की लागत क्या है, इसका उत्तर देना एक कठिन कार्य है। बिजली की लागत का निर्धारण कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि ईंधन की कीमतें, बिजली की मांग, और बिजली के वितरण के लागत। बिजली की लागत को नियंत्रित करने के लिए, सरकारें अक्सर बिजली की लागत को नियंत्रित करती हैं। बिजली की लागत को नियंत्रित करने के लिए, सरकारें अक्सर बिजली की लागत को नियंत्रित करती हैं। बिजली की लागत को नियंत्रित करने के लिए, सरकारें अक्सर बिजली की लागत को नियंत्रित करती हैं।

Dir (BM - I)

JS (BM)
RTI प्रयोगों First app में JS (BM)
की Informations को जारी कर रहे हैं
मसौदा को निपटारा करायें

24/11/13
JS (BM - III)
कृपया उत्तर दें

जा (1987)
8
24/7